न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/96

श्रीमती सुगना बाई पुत्री गणेश जी पत्नी श्री महावीर जी जाति बैरवा निवासी ग्राम बरूधन तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. बाबू आत्मज नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम महराना तहसील तालेडा जिला बून्दी।
2. नाथू आत्मज मोड्या जाति बैरवा ।
3. राजेश आत्मज मोड्या जाति बैरवा निवासीगण ग्राम महराना तहसील तालेडा जिला बून्दी।
4. द्वारक्या बाई पुत्री मोड्या जी जाति बैरवा ।
5. सन्तरा बाई पुत्री मोड्या जी जाति बैरवा ।
6. पदमा बाई पुत्री मोड्या जी जाति बैरवा ।
7. हंसा बाई पुत्री मोड्या जी जाति बैरवा निवासीगण ग्राम महराना तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
8. सोसर बाई पत्नी मोड्या जाति बैरवा निवासी ग्राम महराना तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।
10. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक महोदय, तालेडा जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जुगल किशोर शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 27.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92 (ए) एवं 188 के अन्तर्गत पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थी कम 06 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का कोई हक अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलान्ट के साथ 08 व्यक्तियों के विरूद्ध दावा एव अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अन्य प्रतिवादीगण को तलब किये बिना ही अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण अप्रार्थीगण की तलब में लम्बित था । नियत तारीख पेशी 25.02.2019 को अपीलान्ट अपने वकील साहब के साथ अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुई तब वकील साहब ने पत्रावली को देख कर बतलाया कि अस्थायी निषेधाज्ञा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में जारी कर दी गई है । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल दिनांक 28.02.2019 को प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्प किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार कर अपीलान्ट व अन्य प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेन्टगण का वादग्रस्त आराजी में कोई कब्जा एवं हित निहित नहीं है और न ही उनका कब्जा है । अपीलान्ट मृतक गणेश की पुत्री एवं उत्तराधिकारी है तद्नुसार वादग्रस्त आराजी में 1/10 हिस्से की खातेदार एवं काबिज काश्त है । खातेदार कृषक को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । पत्रावली अन्य प्रतिवादीगण की तामील में लम्बित थी उनको तामील किये बिना लोक अदालत की सूचना दिये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । काश्तकारी अधिनियमों के अन्तर्गत रिलीज डीड का कोई प्रावधान नहीं है । रिलीज डीड अवैध है, सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06. 2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डब्ल्यूएलएन 2012 (4) पेज 30, आरआरडी 1998 पेज 79 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर कभी भी गणेश का कब्जा नहीं रहा है सम्पूर्ण आराजी पर मोड़या, बाबू पिसरान नारायण का कब्जा था । गणेश की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण रामकरण, सूरजमल, पप्पूलाल पिसरान गणेश एवं भूरी बाई बेवा गणेश के नाम खोला गया इसके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है । राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गणेश के वैध वारिसों ने अपना हिस्सा हक त्याग पत्र के माध्यम से प्रार्थी कम 01 और

अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम महराना तहसील तालेडा जिला बून्दी में कुल 03 किता की रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी क्रम 01 बाबूलाल के खातेदारी अधिकार तथा कब्जे काश्त की भूमि है । इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 02 व 3 तथा अप्रार्थी क्रम 01 लगायत 5 के खातेदारी अधिकार तथा कब्जे काश्त की कुल 03 किता की रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम महराना में स्थित है । उक्त भूमियॉ पूर्व में गणेश वल्द सरिया तथा मोड्या, बाबू पिता नारायण के खातेदारी में दर्ज थी उक्त भूमि अविभाजित थी । खसरा नम्बर 930 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1114 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1174 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1179 रकबा 13 बीघा कुल 04 किता रकबा 35 बीघ 09 बिस्वा भूमि पर तत्कालीन खातेदार गणेश वल्द सरिया का कब्जा नही था । सम्पूर्ण भूमि पर मोड्या, बाबू पिसरान नारायण का कब्जा काश्त था । दिनांक 15.06.2006 को मृतक गणेश के वैध वारिस के द्वारा अपने 1/2 हिस्से का एक हक त्याग प्रार्थी क्रम 01 तथा अप्रार्थी क्रम 1 से 5 तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता मोड्या के पक्ष में कर दिया तथा हक त्याग पत्र के आधार पर सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी क्रम 01,02 व 3 तथा अप्रार्थी क्रम 1 से 5 के पिता व पति के नाम खातेदारी में दर्ज हो गयी । प्रार्थी क्रम 2 व 3 तथा अप्रार्थी क्रम 1 से 5 के पिता व पति मोड्या का देहान्त हो गया तथा प्रार्थी क्रम 01 1/2 हिस्से पर काबिज रहे परन्तु उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ शेष 1/2 हिस्से पर प्रार्थी क्रम 2 व 3 तथा अप्रार्थी क्रम 1 से 5 का नाम दर्ज हो गया । वादग्रस्त आराजी में सुगना बाई का कोई अधिकार नहीं है इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 06 ने मृतक गणेश की पुत्री बनकर जिला कलक्टर, बून्दी के यहॉ अपील प्रस्तुत की । तत्पश्चात् तहसीलदार तालेडा के द्वारा अप्रार्थी क्रम 06 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जो कि अवैध तथा शून्य है । वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी क्रम 06 का कब्जा नहीं है राजस्व रिकॉर्ड में अवैध इन्द्राज के आधार पर वह उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन, बेचान तथा दान, वसीयत करने पर आमादा है जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण क्रम 1 से 6 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं भारग्रस्त एवं किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं करें एवं प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि के के किसी भी भू–भाग पर जबरन कब्जा नहीं करें, प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें और प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें । वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी क्रम 06 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में रखते हुए अपने आदेश दिनांक 28.06.2018 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वादग्रस्त आराजी को अन्यत्र रहन, बेचान एवं भारग्रस्त नहीं करें ।

अप्रार्थी क्रम 1 से 5 व प्रार्थी संख्या 2 व 3 मोड्या के पक्ष में त्याग दिया था तब से ही इस आराजी पर प्रार्थी संख्या 1 और मोड्या का कब्जा रहा । अपीलान्ट का इस आराजी में कोई अधिकार निहित नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर 70 वर्ष से रेस्पोडेन्टगण का कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खाारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2018 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार अप्रार्थी संख्या 06 के द्वारा जवाब पेश किया गया है व पत्रावली शेष अप्रार्थीगण की तलबी में लम्बित थी और इसको दिनांक 28.06.2018 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही किसी प्रकार का राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र इंकारी पेश किया गया है और शेष पक्षकारान की तामील नहीं हुई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना पक्षकारों की अनुपस्थिति में लोक अदालत में निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शेष अप्रार्थीगण से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर बहस सुनकर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.02.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा